

राजस्थान विधान सभा
अष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

- I भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2010-2011; एवं
- II सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011.

3. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2011-2012 एवं अतिरिक्त मांगें वर्ष 2007-2008 का उपस्थापन एवं मतदान

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2011-2012 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें(द्वितीय संकलन) एवं अतिरिक्त मांगें वर्ष 2007-2008 का उपस्थापन करेंगे । अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2011-2012 (द्वितीय संकलन) एवं अतिरिक्त मांगें वर्ष 2007-2008 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

4. विधायी कार्य

(अ) विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012

- राजस्थान विनियोग(संख्या-2)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-2)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"
 - (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
 - (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
 - (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान विनियोग(संख्या-1)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-1)
- "31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- अभियांत्रिकी और प्रबंधन
विश्वविद्यालय जयपुर
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-6)
- "राजस्थान राज्य में अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय , जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-7)
- "राजस्थान राज्य में गीतांजली विश्वविद्यालय , उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(3) महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- महाराज विनायक ग्लोबल
विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-9)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय , जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव**

**विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 02 मार्च, 2012**